File No. 15/1/2023-Public Government of India Ministry of Home Affairs (Public Section)

North Block, New Delhi - 01. Dated: \July, 2023

To

The Chief Secretaries/ Administrators of 18 JUL 2023 All State Governments / UT Administrations. Secretaries of all Ministries/Departments of Government of India.

Subject:

Strict compliance of the provisions of Flag Code of India, 2002 [as amended in 2021 & 2022] and the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971-reg.

Sir/ Madam,

I am directed to say that the Indian National Flag represents hopes and aspirations of the people of our country and hence should occupy a position of honour. There is universal affection and respect for, and loyalty to, the National flag. Yet, a perceptible lack of awareness is often noticed amongst people as well as organizations/agencies of the Government, in regard to laws, practices and conventions that apply to display of the National Flag. Copy of 'The Prevention of Insults to National Honour Act, 1971' and 'Flag Code of India, 2002 [as amended in 2021 & 2022]' which governs the use/hoisting/display of National Flag, are available on this Ministry's website www.mha.gov.in. Salient features of the Flag Code of India, 2002 are enclosed.

- 2. As per clause (x) of Paragraph 2.2 of Part-II of the Flag Code of India, the National Flag made of paper may be waved by public on occasions of important national, cultural and sports events. You are requested to ensure that on the occasions of important national, cultural and sports events, Flags used by the public, made of paper are not discarded or thrown on the ground after the event. Such Flags are to be disposed of, in private, consistent with the dignity of the Flag.
- You are also requested to undertake mass awareness programme in this regard and also to give it wide publicity through advertisements in the electronic and print media.

Encl: As above.

18/7/2023 (Pandey Pradeep Kumar)

Deputy Secretary to the Government of India

Tel: 2309 3101

Yours faithfully,

संख्या 15/1/2023-पब्लिक भारत सरकार गृह मंत्रालय (पब्लिक अनुभाग)

> नॉर्थ ब्लॉक ,नई दिल्ली -1 दिनांक ∤८जुलाई, 2023

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/ सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।

विषय : भारतीय झंडा संहिता, 2002 [2021 एवं 2022 में यथासंशोधित] तथा राष्ट्रीय गौरवअपमान निवारण अधिनियम, 1971 में अंतर्विष्ट नियमो के कड़ाई से पालन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के लोगों की आशाओं एवं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए, इसे सम्मान की स्थिति मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के लिए एक सार्वभौमिक लगाव और आदर तथा वफादारी होती है। तथापि, राष्ट्रीय झंडे के संप्रदर्शन पर लागू होने वाले कानूनों, प्रथाओं तथा परंपराओं के संबंध में जनता के साथ-साथ भारत सरकार के संगठनों/एजेंसियों में भी जागरूकता का अभाव देखा गया है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा भारतीय झंडा संहिता, 2002 [2021 एवं 2022 में यथासंशोधित], जो राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग/ध्वजारोहण/संप्रदर्शन को नियंत्रित करते हैं, की प्रति इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय ध्वज संहिता, 2002 की मुख्य दिशा-निर्देश संलग्न हैं।

- 2. भारतीय झंडा संहिता के भाग-॥ के पैरा 2.2 की धारा (x) के अनुसार, जनता द्वारा कागज़ के बने राष्ट्रीय झंडो को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर हाथ में लेकर हिलाया जा सकता है। आपसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर जनता द्वारा प्रयोग किये हुए कागज़ के बने राष्ट्रीय झंडो को समारोह के पूरा होने के पश्चात न तो विकृत किया जाए और न ही जमीन पर फेंका जाए। ऐसे झंडों का निपटान उनकी मर्यादा के अनुरूप एकान्त में किया जाए।
- 3. आपसे यह अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में वृहद जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएं तथा इलैक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम से वृहद प्रचार किया जाए।

भवदीय,

संलग्नक -यथोपरि

पाण्डेय प्रदीप कुमार)
(पाण्डेय प्रदीप कुमार)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23093101